केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर–त0–मालपुरा–जिला–टोंक–राज0

पशु स्वास्थ्य विभाग

क्रमांक: AH/PM contract/2014/ दिनांक: 10–09–2014

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता हे कि इस संस्थान के पशु स्वास्थ्य विभाग में प्रयोगात्मक तकनीकी, श्रमिक कार्य (चमड़ी उतारना, पोस्टमार्टम में सहायता, पोस्टमार्टम कक्ष की सफाई एवं प्रयोगशाला कार्य तथा सफाई) के लिये अनुबन्ध के आधार पर कार्य करने हेतु एक श्रमिक की अपनी न्यूनतम दर प्रस्तुत करने के लिये कोटेशन सादा कागज पर बंद लिफाफे में दिनांक 25.09.2014 को दोपहर 1 बजे तक आमंत्रित किये जाते है, जिसे उसी दिन दोपहर 3 बजे खोली जावेगी। निविदा के साथ रु0 500/– अक्षरे पांच सौ रुपये मात्र बतोर अमानत राशि के रुप में नकद जमा कराना होगा । कार्यो का विवरण निम्न है:–

नियम व शर्ते

1– कार्य में वाहन से शव उतारना, शव परीक्षण से पूर्व चमड़ी निकालना, शव परीक्षण में सहायता, शव परीक्षण के बाद जलाना, सफाई करना तथा प्रयोगशाला में प्रयुक्त हुये कांच एवं प्लास्टिक के सामान की धुलाई–सफाई, टेबिल टॉप की सफाई, प्रयोगशाला में सामान के स्थानान्तरण, समय–2 पर वैज्ञानिकों द्वारा बताये गये कार्य आदि, पूर्ण निष्ठा से करना ।

2– प्राथमिकता उन्ही ठेकेदारो को दी जायेगी जिन्होने पहले भी इस प्रकार का कार्य किया हो या इस विभाग में संतोषप्रद कार्य किया हो तथा लेब कार्य की जानकारी रखता हो।

3– कार्य अवधि दिनांक 1–10–2014 से दिनांक 30–09–2015 तक रहेगी, लेकिन कार्य की अवधि कम या अधिक भी की जा सकती है। यदि उक्त अवधि के दौरान किसी प्रकार का व्यवधान या कार्य असंतोषजनक रहा तो अनुबन्ध निश्चित समय अवधि से पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है।

4– कार्य अवधि दिनांक 1–10–2014 से दिनांक 30–09–2015 के दौरान प्रतिदिन कार्य पर आना होगा (सभी राजपत्रित एवं रविवार अवकाशों को भी)।

5– कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई तो ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल की राशि में से कटोती कर दी जावेगी।

6– कार्य के बिल का भुगतान प्रत्येक माह ठेकेदार द्वारा बिल तीन प्रतियों में पूर्व प्राप्ति रसीद के साथ प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

7– श्रमिकों के बारे में (लगायें जाने वाले) आवश्यक अभीलेख/रजिस्टर स्वयं ठेकेदार को रखना होगा।

8– ठेकेदार को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा श्रमिक न्यूनतम अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाने वाली राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।

9– कार्य दिशा–निर्देशों के आधार पर करना होगा।

(हस्ताक्षर) 10-9-2014
डा. धीरेन्द्र सिंह
अध्यक्ष

प्रतिलिपी :

1. सभी सूचना–पट
2. ग्राम पंचायत, चांदसेन
3. नगर पालिका, मालपुरा
4. कार्यालय तहसील मालपुरा
5. प्रभारी, एकेएमयू को वेवसाईट पर प्रकाशन हेतु ।

(हस्ताक्षर) 10-9-2014
डा. धीरेन्द्र सिंह
अध्यक्ष